कार्यालय :- वन संरक्षक , सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

Email ID-sarandadfo@gmail.com Phone :- 06582-256366

जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ॥

पत्रांक 284 / चाईबासा, दिनांक 02.02.2018 /

सेवा में,

मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स लिमिटेड,
बरायबुरू–टाटीबा लौह एवं मैंगनीज खनन पट्टेधारी,
बड़बिल।

विषय :– मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स, बरायबुरू–टाटीबा लौह एवं मैंगनीज खनन पट्टा क्षेत्र 258.9896 में से 14.5 हे0 वनभूमि हेतु समर्पित अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा विषयगत बरायबुरू–टाटीबा लौह एवं मैंगनीज खनन पट्टा क्षेत्र 258.9896 में से 14.5 हे0 के अपयोजन स्वीकृति हेतु दिनांक 09.01.2018 को Hard Copy प्रमण्डल कार्यालय में समर्पित किया गया है। दिनांक 02.02.2018 को अपयोजन प्रस्ताव के समीक्षा बैठक की गई जिसमें निम्न त्रुटियाँ /कमियाँ पाई गई जो निम्नवत् हैः–

1. प्रस्तावित क्षेत्र का सीमांकन किया हुआ मैप संलग्न नहीं है।
2. प्रस्तावित एरिया पीलर से सीमांकित नही है। अतः सीमांकित कर पीलरों को मैप पर दर्शाते हुए प्रत्येक पीलरों के अक्षांश'–देशान्तर एवं क्रमागत दूरी तथा वियरिंग नम्बर के साथ अंकित किया जाय।
3. प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की संयुक्त गणना सूची संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु समतुल्य आवश्यक चयनित गैर वनभूमि का संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वनरोपण योग्य प्रमाण–पत्र ,मानचित्र आदि की प्रति प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
5. संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 10 वर्षीय वनरोपण योजना की प्राक्कलन भी प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
6. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत निर्गत अनापति प्रमाण पत्र के साथ ग्राम सभा की कार्रवाही की प्रति प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
7. प्रस्ताव के साथ अपयोजित वनभूमि को Shape file में दर्शाते हुए उसे CD के रूप में प्रति प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर प्रतिवेदन 8–8 प्रतियों में शीघ्र समर्पित करें ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके। बैठक में आपके द्वारा शीघ्र अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ वांछित अनुपालन प्रतिवेदन Online भी Upload किया जाय।

आपका विश्वासी

2/2/2018

वन संरक्षक,
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।